

फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

मेन्टोर होम लोन्स इण्डिया लिमिटेड,(पूर्व मे मेन्टोर इण्डिया लिमिटेड), पता –
मेन्टोर, हाउस, गोविन्द मार्ग, सेठी कालौनी, जयपुर– 302004, –**प्रार्थी**

बनाम

श्री हुकुम सिंह पुत्र श्री सुखवीर सिंह, एवं श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी श्री हुकुम सिंह,
प्लाट नं. 43, ग्राम एवं ग्राम पंचायत अजीतगढ, पंचायत समिति भीम, तहसील भीम,
जिला राजसमंद राजस्थान

जमानतदार – श्री सवाई सिंह पुत्र श्री होल सिंह, आर/ओ तहसील के पीछे,
बदनौर रोड़, तहसील भीम, जिला राजसमंद, राजस्थान।

–**ऋणी**

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट

पत्रावली संख्या 70/2019

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पारटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
दिनांक 30.12.2019	<p>प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी मेन्टोर होम लोन्स इण्डिया लिमिटेड जयपुर ने दिनांक: 21.11.2019 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।</p> <p>वित्तीय संस्था ने ऋणी श्री हुकुम सिंह पुत्र श्री सुखवीर सिंह एवं श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी श्री हुकुम सिंह, प्लाट नं. 43, ग्राम एवं ग्राम पंचायत अजीतगढ, पंचायत समिति भीम, तहसील भीम, जिला राजसमंद राजस्थान जमानतदार– श्री सवाई सिंह पुत्र श्री होल सिंह, आर/ओ तहसील के पीछे, बदनौर रोड़, तहसील भीम, जिला राजसमंद, राजस्थान, को रूपये 2,50,000/- का ऋण स्वीकृत किया था इस हेतु ऋणी/ऋणियों/जमानतदारों ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित किये। उक्त ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है:– अचल सम्पत्ति :- भूमि एवं भवन जो पट्टा नं. 43, खसरा नं. 787, ग्राम व ग्राम पंचायत अजीतगढ, पंचायत समिति भीम, जिला राजसमंद, राजस्थान मे स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 2207 वर्ग फिट है। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को वित्तीय संस्था के द्वारा नियमानुसार दिनांक 20.12.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति(NPA) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी ने दिनांक 17.06.2019 को मांग नोटिस वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस भेज करके 60 दिन में ऋण राशि 11.06.2019 को रूपये 3,85,949/- ब्याज व खर्चें अतिरिक्त भुगतान करने के लिए मांग की। सम्पत्ति का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करना अति आवश्यक है, इस हेतु अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत आपकी सहायता हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है:–</p>	



/s/

धारा 14(1) के मुख्य अंश आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत है - "जहाँ किसी प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियन्त्रण में लेने के प्रयोजन के लिए, लिखित में जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा और जिला मजिस्ट्रेट उनको किये गये उस अनुरोध पर (क) उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेंगे और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेंगे। उप-धारा (2) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए, जिला मजिस्ट्रेट ऐसे कदमों को लेंगे या लेवा सकेंगे या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेंगे जो उनकी राय में आवश्यक हो सकेगा। उप-धारा (3) इस धारा की अनुपालना में जिला मजिस्ट्रेट का कोई भी कार्य किसी न्यायालय में या किसी अधिकारी के समक्ष प्रश्नांकित नहीं किया जायेगा"।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांक: 17.06.2019 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने संबंधी रजिस्टर्ड ए0डी0 की रसीदे प्रस्तुत की गयी। आवेदक बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ-पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी मेन्टोर होम लोन्स इण्डिया लिमिटेड, जयपुर द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार बन्धक सम्पत्ति का विवरण :- अचल सम्पत्ति :- भूमि एवं भवन जो पट्टा नं. 43, खसरा नं. 787, ग्राम व ग्राम पंचायत अजीतगढ, पंचायत समिति भीम, जिला राजसमंद, राजस्थान मे स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 2207 वर्ग फिट है। इस सम्पत्ति पर आज दिनांक तक उक्त कार्यवाही करने के लिए किसी न्यायालय/अधिकरण के द्वारा कोई रोक नहीं है।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त निवासी सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी मेन्टोर होम लोन्स इण्डिया लिमिटेड, जयपुर के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी मेन्टोर होम लोन्स इण्डिया लिमिटेड, जयपुर को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

